सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 13.10.2024

हत्या का प्रयास करने वाले 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना बढ़पुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 12.10.2024 को वादिनी प्रियंका देवी पत्नी विजय सिंह निवासी ग्राम कसौआ द्वारा थाना बढपुरा पर तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 12.10.2024 को समय करीब 6:30 बजे सुशील आदि 04 लोगों द्वारा जमीनी कब्जे के विवाद को लेकर मेरे पति विजय पर कुल्हाडी व लाठी-डण्डों से जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। जिसके संबंध मे थाना बढ़पुरा पर **मु0अ0सं0 63/2024 धारा 118(1) /109 बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 13.10.2024 को थाना बढ़पुरा पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 63/2024 से संबंधित अभियुक्तगण खेडा अजब सिंह तिराहा चकरनगर रोड पर भागने की फिराक में खड़े है। सूचना पर कार्यवाही करते हुये थाना बढ़पुरा पुलिस टीम द्वारा **02 अभियुक्तों को खेडा अजब सिंह तिराहा चकरनगर रोड से समय 10.10 बजे गिरफ्तार किया गया।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. सुशील सिंह उर्फ लल्लू पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी कसौआ थाना बढपुरा जनपद इटावा **उम्र 30 वर्ष।**
2. सलील उर्फ बूटानी पुत्र नरेन्द्र सिंह निवासी कसौआ थाना बढपुरा जनपद इटावा **उम्र 28 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0सं0- **63/2024 धारा 118(1) /109 बीएनएस** थाना बढ़पुरा जनपद इटावा।

पुलिस टीमः-निरी0 श्री गणेश शंकर द्विवेदी प्रभारी थाना बढ़पुरा, उ0नि0 ध्यानेन्द्र प्रताप सिंह, हे0का0 विजय प्रताप सिंह व का0 जितेन्द्र सिंह।